जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्रमांकःजीविवि/परीक्षा–2/गोप0/2013/297 दिनांक :04.03.2013

प्रति, **अत्यावश्यक**

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
   सम्बद्ध महाविद्यालय जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   अध्ययनशालायें,जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

3. समस्त समन्वयक, स्ववित्तीय पाठ्यक्रम
   जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

4. समस्त संकायाध्यक्ष एवं अध्यक्ष अध्ययनमण्डल (समस्त विषय)
   जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

विषयः– सत्र 2011–12 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये परियोजना/इंटर्नशिप कार्य संबंधी निर्देश ।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रेदश शासन भोपाल क्रमांक 189/11/आउशि/2011 भोपाल दिनांक 06.09.2011 एवं जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का पूर्व पत्र क्रमांक/परीक्षा–2 /गोपनीय/ 2011/388 दिनांक 30.12.2011 ।

महोदय,

संदर्भित विषयांन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2011–12 से प्रवेशित छात्रों हेतु प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी शासन के निर्देश पत्र के साथ संलग्न है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप के अंक निर्धारित समय में प्रेषित कर विश्वविद्यालय को परीक्षा अत्यावश्यक कार्य में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

उप–कुलसचिव(गोपनीय)

संलग्नः–

1. शासन के पत्र क्रमांक 189/11/आउशि/2011 भोपाल दिनांक 06. 09.2011 के पेज क्रमांक एवं तीन एवं चार के बिन्दु क्रमांक (**ग**) की स्केन प्रति।

कार्यालय आयुक्त, उच्चशिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 189 / 11 / आउशि/ 2011 भोपाल दिनांक 6-9-2011

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय :– सत्र 2011–12 के लिये संशोधित कैलेण्डर और सेमेस्टर पद्धति में संशोधन संबंधी दिशा–निर्देश।

राज्य शासन एतद् द्वारा, महामहिम कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन पश्चात सत्र 2011–12 के लिए पूर्व में जारी किये गये कैलेण्डर एवं वर्तमान सत्र में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए सी.सी.ई. (सतत् समग्र मूल्यांकन) और परियोजना कार्य / इन्टर्नशिप तथा ए.टी.के.टी के प्रावधानों में संशोधन कर निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(क) सत्र 2011–12 के लिए संशोधित कैलेण्डर –

(1) स्नातक प्रथम सेमेस्टर – शासन द्वारा सत्र 2011–12 के लिए पूर्व में जारी अकादमिक केलेण्डर के अनुसार संचालित होगा।

(2) सत्र 2011–12 (स्नातक III एवं V और स्नातकोतर I एवं III सेमेस्टर) के लिए संशोधित कैलेण्डर :–

अकादमिक गतिविधि	निर्धारित तिथि/अवधि
कक्षाएं प्रारंभ	विश्वविद्यालय की द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ सेमेस्टरों की परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद।
अन्य गतिविधियां	सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर, 2011
परीक्षा फार्म भरना	01 दिसम्बर से 05 दिसम्बर, 2011 तक। 07 दिसम्बर से 10 दिसम्बर, 2011 तक विलम्ब शुल्क सहित।
परीक्षा संचालन	26 दिसम्बर 2011 से 31 जनवरी 2012 तक।
परीक्षापरिणामों की घोषणा	28 फरवरी 2012 तक।

(ग) सत्र 2011–12 में स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये परियोजना/इंटर्नशिप कार्य संबंधी निर्देश –

इसी सत्र से इस संबंध में तैयारी आरंभ करने के निर्देश दिये जाते हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर उद्यमिता से जुड़े क्षेत्रों का सर्वे एवं प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप से संबंधित कार्यो को एक पंजी में सूचीबद्ध करना प्रमुख है, ताकि अंतिम सेमेस्टर में जब प्रवेशित विद्यार्थी पहुँचे जहाँ उन्हें प्रोजेक्ट कार्य/इंटर्नशिप करना है, तो उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। ऐसा होने पर ही विद्यार्थियों को इस नवाचारी योजना का वास्तविक लाभ मिल सकेगा। सत्र 2011–12 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये परियोजना कार्य/इंटर्नशिप में निम्नवत संशोधित निर्देश दिये जाते हैं :–

(1) स्नातक स्तर पर प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्य केवल अंतिम यानि छठवें सेमेस्टर में ही होगा।

(2) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्य केवल अंतिम यानि चौथे सेमेस्टर में ही होगा।

(3) विद्यार्थियों को चयन में मदद के लिये प्राचार्य अपने शिक्षक साथियों की मदद से प्रोजेक्ट एवं इंटर्नशिप से संबंधित कार्यो को एक पंजी में सूचीबद्ध करेंगे।

(4) प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्य को एक प्रश्नपत्र की तरह माना जाएगा और वह 100 अंकों का होगा। इंटर्नशिप की अवधि 60 घंटों की होगी।

(5) विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्य नियमित अध्ययन के साथ–साथ अतिरिक्त समय में करना होगा।

(6) प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों में कौशल विकास हेतु आवश्यक तकनीक से परिचित कराना है। इस हेतु आवश्यक है कि विद्यार्थी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रख कर ही प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्यों का चयन करें। परियोजना निर्देशक शिक्षक स्थानीय उद्यमिता से जुड़े क्षेत्रों का सर्वे कर इस हेतु विद्यार्थियों का समुचित मार्गदर्शन करेंगें।

(7) महाविद्यालय में कई ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पुस्तकालय का रख–रखाव; महाविद्यालय में डाटा–एंट्री संबंधी कार्य; डी.टी.पी. (डेस्क टॉप पब्लिशिंग) से जुड़े विभिन्न कार्य; फोटो कॉपी आपरेटर के कार्य; वृक्षारोपण हेतु पौधों को तैयार करना; विद्यार्थियों की सुविधा के लिये स्टेशनरी काउंटर; चाय–बिस्किट आदि के अल्प–कालीन विक्रय केंद्र, आदि। इस तरह के कार्यों को प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप से इस तरह जोड़ा जाए कि विद्यार्थियों को अपने विषय से संबंधित व्यवहारिक लाभ भी मिल सके और उनमें रोजगारोन्मुखी कौशल भी विकसित हो सके।